

सायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं- M-39 / 20.1.19

धारा-107 द०प्र०सं०

रमाए

परजाना रबातुन

बनाम श्री० अरुणम वगरे

आदेश की क्रम सं० एवं
दिनांक

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही
एवं टिप्पणी तारीख सहित

अभिलेख सं०-एम... 39 / 20.1.19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत शाना प्रमारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०- 07.1.19 दिनांक 17-04-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद की लेकर समय पत्र के तनाव
37

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभारो/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) ₹0 का बन्ध पत्र उरी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दारखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 27/05/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


[Signature]
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

[Signature]
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश चर की गई कार्यवाही एवं रिप्ली तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	---

03-04-20
06-07-20

अभिलेख उपस्थापित। अन्त वाद में
6(क) गण की अवधि पूरी हो चुकी
है। अर्थात् वाद का लंबाई है गण है।
अन्त वाद में अभिलेख की कार्यवाही को
बन्द की जाती है।


6/7/20
कार्यवाही
शुद्ध


6/7/20
कार्यवाही
शुद्ध